बिहार सरकार
<u>ऊर्जा विभाग</u>

पत्रांक – प्र0 / सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–03 / 2016 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन अर्ध निर्मित शक्ति उपकेन्द्र यथा–पनारी (बेलागंज, गया), कुचिला (कोचस, रोहतास), भगवानपुर (भगवानपुर, कैमूर) जहाँ संसाधन के अभाव में निर्माण कार्य बंद है, उनका निर्माण पूरा करने हेतु 15.46 करोड़ (पंद्रह करोड़ छियालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 13.7779813 करोड़ (तेरह करोड़ सतहत्तर लाख उन्नासी हजार आठ सौ तेरह) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन 33 / 11 के0वी0 शक्ति उपकेन्द्र यथा– पनारी (बेलागंज, गया), कुचिला (कोचस, रोहतास), भगवानपुर (भगवानपुर, कैमूर) जिनका निर्माण कार्य कतिपय कारणों से पूर्ण नहीं किया जा सका, उनका निर्माण कार्य फिर से शुरू करने के लिए कुल 15.46 करोड़ (पंद्रह करोड़ छियालीस लाख) रूपये आकलित की गई है।

2. इस योजना से कंपनी के क्षेत्राधीन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकेगा, जिससे पीक लोड अवधि में भी गुणवत्तायुक्त पूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा भविष्य में बढ़ने वाले विद्युत भार मांग को पूरा किया जा सकेगा।

3. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन अर्ध निर्मित शक्ति उपकेन्द्र यथा–पनारी (बेलागंज, गया), कुचिला (कोचस, रोहतास), भगवानपुर (भगवानपुर, कैमूर) जहाँ संसाधन के अभाव में निर्माण कार्य बंद है, उनका निर्माण पूरा करने हेतु 15.46 करोड़ (पंद्रह करोड़ छियालीस लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में 13.7779813 करोड़ (तेरह करोड़ सतहत्तर लाख उन्नासी हजार आठ सौ तेरह) रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, मांग सं0–10, उपशीर्ष–0106–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–P4801051900106, विषय शीर्ष –5401– निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0 एल0 खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष एल0 8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–के0–8448001200047 में जमा की जाएगी।

6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी0 एल0 खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।

कृ0पृ0उ0

7. वित्त विभाग केपरिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–03/2016 के पृष्ठ संख्या 19/टि0 पर दिनांक 25.03.2017 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या प्र0/सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–03/2016 के पृष्ठ संख्या 21/टि0 पर दिनांक 27.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र0/सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–03/2016 दिनांक ....

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।

ज्ञापांक प्र0/सा0बि0पा0डि0कं0 लि0–03/2016 1090 दिनांक 28/03/2017

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग।